**भारत सरकार**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 3552**

**03.04.2017 को उत्तर के लिए**

**पॉलीक्लोरिनेटिड बाइफिनाइल्स के प्रयोग और विनिर्माण पर प्रतिबंध**

**3552. श्री टी. रतिनावेल:**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत द्वारा प्रदूषण को कम करने के लिए पॉलीक्लोरिनेटिड बाइफिनाइल्स के प्रयोग और विनिर्माण पर प्रतिबंध लगाने हेतु निदेश जारी किए जाने के बावजूद दशकों से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इन विषाक्त औद्योगिक रसायनों के प्रयोग ने देश की भूमि और वायु की गुणवत्ता को संदूषित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एक अध्ययन के अनुसार, भारतीय भूमि में र्इ-अपशिष्ट इसकी वैश्विक औसत से दोगुना है;

(घ) क्या र्इ-अपशिष्ट का निपटान किया जाना ही उस चिंता का कारण है जिसका सामना देश इस वक्त कर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्‍तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)**

**(श्री अनिल माधव दवे)**

(क) और (ख) वर्ष 2006 में देश में पॉलीक्‍लोरिनेटिड बाइफिनाइल्‍स (पीसीबी) के उत्‍पादन और आयात को प्रतिबंधित किया गया। तथापि, किसी भी रूप में पीसीबी के प्रयोग पर अंतिम प्रतिबंध 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी होगा। इस मंत्रालय ने वितरण परिवर्तकों से पीसीबी के प्रयोग को चरणबद्ध रूप से समाप्‍त करने तथा पीसीबी के स्‍थान पर अन्‍य किसी वस्‍तु के प्रयोग के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। कई वैज्ञानिक रिपोर्टों में पर्यावरणीय संदूषण स्‍तर को प्रलेखित किया गया है तथा मानव और पशुओं के उत्‍तकों तथा जल और तलछट में पीसीबी सांद्रण की सूचना दी गई है। तथापि, इस बारे में कोई व्‍यापक सरकारी रिपोर्ट/आकलन उपलब्‍ध नहीं है।

(ग) और (घ) प्रति व्‍यक्ति आय के बढ़ने और नवीनतम प्रौद्योगिकी के बढ़ते इस्‍तेमाल के कारण देश के आर्थिक विकास में वृद्धि होने के साथ-साथ भारी मात्रा में इलेक्‍ट्रॉनिक तथा इलेक्ट्रिकल उपकरणों की अप्रचलन दर के फलस्‍वरूप ई-अपशिष्‍ट की मात्रा में वृद्धि हुई है। केन्‍द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वर्ष 2010 में 8.0 लाख टन ई-अपशिष्‍ट उत्‍पन्‍न होने का आकलन किया था। यूनाईटेड नेशन्‍स यूनिवर्सिटी रिपोर्ट ‘’द ग्‍लोबल ई-वेस्‍ट मॉनीटर 2014’’ के अनुसार, देश में वर्ष 2014 में 17 लाख टन ई-अपशिष्‍ट उत्‍पन्‍न होने की सूचना थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में वर्ष 2014 में प्रतिव्‍यक्ति ई-अपशिष्‍ट उत्‍पादन 1.3 किग्रा/प्रतिनिवासी था, जोकि यूएसए (22.1 किग्रा/प्रतिनिवासी), जापान (17.3 किग्रा/प्रतिनिवासी), चीन (4.4 किग्रा/प्रतिनिवासी) और कई अन्‍य देशों से काफी कम था। यदि ई-अपशिष्‍ट का पर्यावरणीय अनुकूल तरीके से प्रहस्‍तन और निपटान न किया जाए तो यह हानिकारक हो सकता है।

(ड.) देश में ई-अपशिष्‍ट का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने ई-अपशिष्‍ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2011 में व्‍यापक संशोधन किया तथा मार्च, 2016 में ई-अपशिष्‍ट (प्रबंधन) नियम, 2016 अधिसूचित किए हैं। इस नियम के उपबंधों में उत्‍पादक के उत्‍तरदायित्‍व का विस्‍तार करना, एकत्रण तथा पुनर्चक्रण को सुकर बनाने के लिए उत्‍पादक उत्‍तरदायित्‍व संगठनों की स्‍थापना करना एवं ई-अपशिष्‍ट का आदान-प्रदान करना, सुरक्षित निपटान हेतु इलेक्‍ट्रॅानिक उत्‍पादों के बड़े उपभोक्‍ताओं को विशिष्‍ट उत्‍तरदायित्‍व सौंपना, इलेक्‍ट्रॉनिक अपशिष्‍ट के एकत्रण हेतु आर्थिक प्रोत्‍साहन की व्‍यवस्‍था करना, और इलेक्‍ट्रॉनिक अपशिष्‍ट को एकत्र एवं चैनेलाईज करने के लिए इलेक्‍ट्रॉनिक एवं इलेक्ट्रिकल उत्‍पादों के उत्‍पादकों के समर्पित उत्‍तरदायित्‍व की व्‍यवस्‍था करने की दृष्टि से अन्‍य उपाय करना तथा केन्‍द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानक प्रचालन क्रियाविधि (एसओपी) के आधार पर एकल प्राधिकार के माध्‍यम से भंजन और पुनचर्क्रण सुविधाओं के लिए अनुमति देने की प्रक्रिया को सरल बनाना शामिल हैं। राज्‍य सरकारों को ई-अपशिष्‍ट के भंजन और पुनर्चक्रण संबंधी सुविधाओं हेतु औद्योगिक स्‍थल का निर्धारण करने एवं औद्योगिक दक्षता को बढ़ाने तथा भंजन एवं पुनर्चक्रण सुविधाओं में कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा एवं स्‍वास्‍थ्‍य-देखभाल के लिए उपाय करने की जिम्‍मेदारी सौंपी गई है। इसके अतिरिक्‍त, पुनर्चक्रण के माध्‍यम से संसाधन पुन: के लिए, यह मंत्रालय इलेक्‍ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ समन्‍वय कर रहा है, जिसने पहले ही मूल्‍यवान धातुओं, प्‍लास्टिक, कांच के निष्‍कर्षण हेतु पुनर्चक्रण प्रौद्योगिकी के लिए अनुसंधान और विकास कार्यक्रम, संपन्‍न नवीन प्रौद्योगिकियों, प्रायोगिक संयंत्रों और प्रौद्योगिकी अंतरण के माध्‍यम से प्रदर्शन जैसी कुछ पहलें शुरू कर दी हैं।

\*\*\*\*\*